FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0163   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/06/2025 14:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): मंगलवार   Date From (दिनांक से): 15/04/2025   Date To (दिनांक तक): 15/04/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 12:15 बजे   Time To (समय तक): 17:25 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/06/2025   Time (समय): 11:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/06/2025 14:58:15 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 80 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): POLICE THANA JURHRA, JILA DEEG
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NASEEM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** IDRISH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON GAVDI, JURHERA, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON GAVDI, JURHERA, डीग, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRAKASH SAINI		पिता:SHIVLAL SAINI	1. 370,KAMILPUR PATTI SIKARI,NAGAR,NAGAR,डीग, RAJASTHAN,INDIA
2	NARESH KUMAR MEENA		पिता:BABULAL MEENA	1. FIROZPUR BAHALI,RAJGARH,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		60,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 60,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथ पकडवाने के सम्बन्ध है महोदय, निवेदन है कि मुझ प्रार्थी नसीम पुत्र ईदरीश उम्र 39 साल जाति मेव(मुसलमान) निवासी गांवडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग के परिवारजन श्री अख्तर पुत्र इस्लाम,मुजीब पुत्र इस्लाम, नासिर पुत्र मुरसलीम , परवेज पुत्र मुरसलीम, आकी पुत्र बच्चू, सालीव पुत्र जानू निवासीयान गांवडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग को पुलिस थाना जुरहरा द्वारा ठगी के आरोप में 13.04.2025 को शाम को पकडा था जिस संबध में थाने पर बात करने के लिये गया तो थाने के एसएचओ श्री अमित सिंह ने व उसके रीडर श्री प्रकाश व नरेश कानिस्टेबल द्वारा मेरे परिवारजन के लोगो को मुल्जिम नही बनाने व मुकदमें में मदद करने व मारपीट नही करने की एवज में 1 लाख रूपये की मांग की थी मुझ प्रार्थी को बार बार फोन पर ये कहते है कि रूपयों का इन्तजाम जल्दी कर वरना मुल्जिम बना दिये जाओगे जिस पर मैने कल दिनांक 14.04.2025 को रात्रि करीब 11 बजे 40 हजार रूपये श्री प्रकाश रीडर को दिये तो प्रकाश ने कहा कि बची हुई राशि 60 हजार रूपये जल्द से जल्द व्यवस्था करना। मै अब एसएचओ व उसके रीडर प्रकाश को रिश्वत नही देना चाहता हुं मै उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरा इनसे कोई पुराना लेन देन नही है और ना ही मेरी इनसे किसी प्रकार की रंजिश है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी श्री नसीम पुत्र श्री इदरीश निवासी गांव गावडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग मो0नं. [redacted] 15.04.25 , एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 15.04.25, एसडी आशीष कुमार सिंह 16.04.25 , एसडी आशीष कुमार मौर्य 16.04.25। कार्यवाही पुलिस दिनांक 15.04.2025 समय-12.15 पी.एम. प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री नसीम पुत्र श्री इदरीश निवासी गांव गावडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मुझ प्रार्थी नसीम पुत्र ईदरीश उम्र 39 साल जाति मेव(मुसलमान) निवासी गांवडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग के परिवारजन श्री अख्तर पुत्र इस्लाम,मुजीब पुत्र इस्लाम, नासिर पुत्र मुरसलीम , परवेज पुत्र मुरसलीम, आकी पुत्र बच्चू, सालीव पुत्र जानू निवासीयान गांवडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग को पुलिस थाना जुरहरा द्वारा ठगी के आरोप में 13.04.2025 को शाम को पकडा था जिस संबध में थाने पर बात करने के लिये गया तो थाने के एसएचओ श्री अमित सिंह ने व उसके रीडर श्री प्रकाश व नरेश कानिस्टेबल द्वारा मेरे परिवारजन के लोगो को मुल्जिम नही बनाने व मुकदमें में मदद करने व मारपीट नही करने की एवज में 1 लाख रूपये की मांग की थी मुझ प्रार्थी को बार बार फोन पर ये कहते है कि रूपयों का इन्तजाम जल्दी कर वरना मुल्जिम बना दिये जाओगे जिस पर मैने कल दिनांक 14.04.2025 को रात्रि करीब 11 बजे 40 हजार रूपये श्री प्रकाश रीडर को दिये तो प्रकाश ने कहा कि बची हुई राशि 60 हजार रूपये जल्द से जल्द व्यवस्था करना। मै अब एसएचओ व उसके रीडर प्रकाश को रिश्वत नही देना चाहता हुं मै उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरा इनसे कोई पुराना लेन देन नही है और ना ही मेरी इनसे किसी प्रकार की रंजिश है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समय-02.00 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाने से श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 से निकलवाकर नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री नसीम को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि नं.203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री नसीम को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री परसराम कानि नं. 203 को परिवादी के साथ किराये की गाडी से कस्बा कांमा रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 05.25 पीएम पर श्री परसराम कानि नं. 203 ने जरिये व्हाट्स एप्प कॉल कर परिवादी से मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक की वार्तालाप कराई तो परिवादी ने बताया कि मै व परसराम कानि आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना जुरहरा के पास पंहुचे जंहा परसराम कानि ने वॉईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द कर दिया। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के मै परसराम कानि के पास आया। मैने पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉईस रिकॉर्डर को परसराम कानि को सुपुर्द कर दिया जिसे परसराम कानि ने प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। मेरी रीडर प्रकाश कानिस्टेबल से रिश्वत के संम्बध में वार्ता हो गई है। प्रकाश रीडर ने मेरे से मेरे परिवारजन के खिलाफ मुकदमें में मदद करने व मारपीट नही करने की एवज में 40 हजार रूपये पूर्व में ले लिये है। जिनका रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान स्वीकार किया एवं 60 हजार रूपये की पूर्व की मांग को दोहराया है। मेरे निवेदन करने पर बडी मुश्किल से उक्त रिश्वत राशि को कल सुबह 10-11 बजे तक लाने के लिये तैयार हुआ है एवं नरेश कानि ने ये रूपये खुद के मार्फत एसएचओ को देने के लिये मुझे कहा है उक्त सारी वार्तालाप मैने परसराम कानि को बताई। मै घर पर आवश्यक कार्य होने व रिश्वत राशि का इंतजाम कर कल सुबह लगभग 9.30 बजे कलावटा बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग कांमा जिला डीग मिल जाउंगा। इसके बाद परसराम कानि ने वार्ता कर परिवादी की वार्तालाप की ताईद की। परसराम कानि को परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रूकसत कर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत दी गई। इसके बाद समय- 09.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री परसराम कानि नं.203 परिवादी श्री नसीम को गोपनीयता की हिदायत देकर कस्बा जुरहरा में छोडकर उपस्थित कार्यालय आया। श्री परसराम कानि नं.203 से वॉईस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं और परिवादी नसीम कार्यालय से रवाना होकर कस्बा जुरहरा पहुॅंचे जहां पुलिस थाना जुरहरा के सामने वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाने के लिये रवाना किया गया। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के परिवादी मेरे पास आया। मैने पूर्व मे परिवादी को सुपुर्दशुदा वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी रीडर प्रकाश कानिस्टेबल से रिश्वत के संम्बध में वार्ता हो गई है। प्रकाश रीडर ने मेरे से मेरे परिवारजन के खिलाफ मुकदमें में मदद करने व मारपीट नही करने की एवज में 40 हजार रूपये पूर्व में ले लिये है। जिनका रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान स्वीकार किया एवं 60 हजार रूपये की पूर्व की मांग को दोहराया है। मेरे निवेदन करने पर बडी मुश्किल से उक्त रिश्वत राशि को कल सुबह 10-11 बजे तक लाने के लिये तैयार हुआ है एवं नरेश कानि ने ये रूपये खुद के मार्फत एसएचओ को देने के लिये मुझे कहा है। श्री परसराम कानि. नं. 203 से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर कर चालु कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। वॉईस रिकॉर्डर में से मैमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। इसके बाद दिनांक 16.04.2025 समय- 07.20 ए.एम. पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने से पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान को जरिये मोबाईल तलब करने पर उपस्थित कार्यालय आये। गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय- 07.30 ए.एम. पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए पूर्व से उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जाति ठाकुर उम्र 41 निवासी 5/222 नई प्रेम नगर अलबतिया रोड शाहगंज आगरा पुलिस थाना जगदीशपुरा जिला आगरा यूपी हाल कनिष्ठ अभियंता भरतपुर विकास प्राधिकरण भरतपुर जिला भरतपुर तथा श्री आशीष कुमार मौर्य पुत्र श्री रामचन्द्र मौर्य जाति मुराउ उम्र 41 साल निवासी ग्राम गंगोलिया तहसील महमूदाबाद पुलिस थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर यूपी हाल कनिष्ठ अभियंता भरतपुर विकास प्राधिकरण भरतपुर जिला भरतपुर होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 15.04.2025 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय- 07.50 एएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक , श्री सुशील कुमार कानि 557, श्री विनोद कुमार कानि 114,श्री लोकेश कुमार कानि 85, श्री सुरेश कुमार कानि 185 को फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी के साथ मय स्वतंत्र गवाहान मय लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स ,यूपीएस मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड, वॉईस रिकॉर्डर, नया मैमोरी कार्ड व अन्य साजोसामान के मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री विजय सिंह कानि चालक के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे मन अति. पुलिस अधीक्षक मय श्री दिलीप कुमार कानि 610,श्री परसराम कानि 203, श्री रितेश कुमार कानि 64, श्री गोकुलेश कानि मय निजी वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना कस्बा जुरहरा हुआ। इसके बाद समय- 09.10 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स, यूपीएस मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड, वॉईस रिकॉर्डर, नया मैमोरी कार्ड व अन्य साजोसामान के कस्बा जुरहरा से पूर्व कलावटा बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग कांमा जिला डीग पंहुचा। जंहा मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। इसके बाद समय- 09.15 एएम पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री नसीम पुत्र श्री इदरीश निवासी गांव गावडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 120 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 60,000/- रूपये अपने

पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-9NT426628, 9NF685846,6LQ502948,5MQ070759,8AM237161,7KQ828464,6PC839614,7ND241941, 5QF304191,9MQ468734,3TS892070,9TA413673,4AM842200,6RG911472,2CG271113, 8TL147334,4CP384540,9DD089912,3QB328057,0BU728735,0LH144335,3DP880174, 1QH691199,2ER629679,0LE963037,8AS957264,0SE097412,0DP463483,4WL783782, 2WA445245,5KU157508,4FC164253,2FV273306,4DM860056,5QN659785,1AE140610, 9MQ308472,0LA177674,4CP457406,4FF696413,4MK202619,5PD652790,9NW943487, 3ND650929,9NP936623,9MM229763,6NB768422,0PP542644,8DG963323,7DS824489, 9BG617766,5UA336575,1VU936928,0EA979700,8KW843614,2UL631228,4KB941005, 2TS051442,0VC612654,6GE072766,5KR407326,7NE011843,8DH804612,3FF774491, 1CG972567,0EM180171,2NN018777,8DV729722,9HD479720,8KD419914,6CT221300, 8SG919060,8PU915545,8KD115619,0MT880565,1HS678553,1EQ262860,1FC191997, 3PB434056,6KS797944,6FR651858,3BH681392,6FT493858,4MK127617,9FS399644, 4MG354476,4AK681515,1KQ936300,2FF981416,4TD601192,5AQ932077,3ML874922, 7NB800542,2WQ454346,8HV161466,0PU968496,2ST331684,9AG100009,2BC176744, 8SB408316,6QB492888,1BH534259,7RA751992,2QM922912,0EC538014,3FV845099, 7BD085937,8AR508386,3AF422643,4NH553551,7EA181252,6MP505166,5UR878967, 4GA281672,6TN086784,4HR445949,7AA317928,1EG245428,6NQ822745,2SN935502 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री सुरेश कुमार कानि नं.185 के पास रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री सुरेश कुमार कानि नं.185 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री नसीम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री आशीष कुमार सिंह से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 60,000/- रूपये के नोटों को श्री सुरेश कुमार कानि नं.185 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट बांयी तरफ की आगे की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री आशीष कुमार मौर्य से टवेरा गाडी में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सुरेश कुमार कानि नं.185 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को श्री सुरेश कुमार कानि. नं.185 को देकर एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय- 09.55 एएम पर श्री परसराम कानि नं. 203 को परिवादी श्री नसीम के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से पुलिस थाना जुरहरा के लिये रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम, स्वतत्रं गवाहान व ट्रेप सामान मय निजी व सरकारी वाहन के रवाना हुआ। इसके बाद समय- 10.10 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय कानि परसराम मय ट्रेप टीम, स्वतत्रं गवाहान व ट्रेप सामान मय निजी व सरकारी वाहन के पुलिस थाना जुरहरा के पास पहुंचा। वाहनो को एक तरफ साईड में खडा कर परिवादी को आरोपीगण के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर सुपुर्द करने की हिदायत देकर रवाना किया गया । मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आस पास खडे हो गये। परिवादी के मुकर्रर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय- 10.20 एएम पर परिवादी श्री नसीम बिना इशारा किये पुलिस थाना जुरहरा से बाहर निकलकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया। परिवादी को पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा । परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मुझे दो घन्टे बाद बुलाया है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय कानि परसराम को परिवादी की मोटरसाईकिल से आगे आगे रवाना कर मय ट्रेप टीम, स्वतत्रं गवाहान व ट्रेप सामान मय निजी व सरकारी वाहन के अपनी उपस्थिति छुपाने हेतु रवाना कस्बा पुन्हाना हरियाणा की तरफ हुआ। इसके बाद समय- 12.30 पीएम पर परिवादी श्री नसीम को अपने किसी परिचित से जानकारी कर बताया कि आरोपीगण कंही बाहर गये हुये है आज वापस आने की संभावना नही है। अतः आज कार्यवाही की संभावना नही है। , जिस पर परिवादी के पेन्ट की बांयी तरफ की आगे की जेब में रखी हुई रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री आशीष कुमार सिंह से निकलवाकर एक खाकी कलर के लिफाफा में रिश्वती राशि को परसराम कानि के पास सुरक्षित रखवाया गया व परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय निजी वाहन व सरकारी वाहन टवेरा विजय सिंह कानि चालक नं. 339 के लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स,वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड व अन्य साजो सामान के कस्बा जुरहरा जिला डीग से एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना हुआ। इसके बाद समय- 03.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड व अन्य साजो सामान के कस्बा जुरहरा जिला डीग से रवाना होकर एसीबी चौकी उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि. 68 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया एवं श्री परसराम कानि नं. 203 के पास रखी हुई रिश्वत राशि व वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल तलब करने पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 17.04.2025 समय- 04.00 पी.एम पर पूर्व से जरिये मोबाईल तलबशुदा परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय में बैठाया गया । इसके बाद समय- 04.15 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.04.2025 के मैमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-04.25 पी.एम. पर परिवादी नसीम व आरोपीगण के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 15.04.2025 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार की गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में अलग अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 06.00 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 15.04.2025 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय- 06.10 पी.एम. पर परिवादी को कोई सूचना प्राप्त होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने व गोपनीयता की हिदायत कर रूकसत किया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी गोपनीयता की हिदायत कर रूकसत किया गया इसके बाद दिनांक 23.04.2025 समय- 02.30 पी.एम. पर श्री नसीम पुत्र श्री इदरीश निवासी गांव गावडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग ने एक लिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि 60000/-रू. लौटाने बाबत पेश किया और बताया कि आरोपीगण को किन्ही कारणवश मेरे उपर शक हो गया है, अब वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा। इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व परिवादी से मजिद दरियाफ्त की गई, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपीगण अब परिवादी से पैसे नहीं लेगे। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय- 02.44 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल तलब किया गया। इसके बाद समय- 03.00 पी.एम. पर पूर्व से जरिये मोबाईल तलबशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये। इसके बाद समय- 03.10 पी.एम. पर दोनों गवाहान के समक्ष मन् अति. पुलिस अधीक्षक

ने श्री रवि कुमार हैडकानि नं.52 से कार्यालय की अलमारी में रखी रिश्वत राशि 60,000/-रू. से फिनोफ्थलीन पाउडर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर परिवादी श्री नसीम पुत्र श्री इदरीश निवासी गांव गावडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग को जरिये फर्द 60,000/-रूपये लौटाये जाकर रसीद प्राप्त की गई। फर्द व प्राप्ती रसीद शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 03.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 66 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री आशीष कुमार सिंह कनिष्ट अभियंता को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण प्रकाश कानि. 2449 रीडर थानाधिकारी व नरेश कानि. 2530 पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग द्वारा परिवादी श्री नसीम पुत्र श्री इदरीश जाति मेव मुसलमान उम्र 29 साल निवासी गांव गावडी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग के परिवारजन के खिलाफ मुकदमें में मदद करने व मारपीट नही करने की एवज में 40 हजार रूपये पूर्व में लेना। जिनका रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान स्वीकार किया एवं 60 हजार रूपये की पूर्व की मांग करना एवं दिनांक 16.04.2025 को वक्त रिश्वत लेन देन के समय शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि नहीं लेने का उक्त कृत्य आरोपीगण श्री प्रकाश सैनी पुत्र श्री शिवलाल सैनी जाति सैनी उम्र 30 साल निवासी 370 कामिलपुर पट्टी सीकरी तहसील नगर पुलिस थाना सीकरी जिला डीग हाल कानि. 2449 रीडर थानाधिकारी व श्री नरेश कुमार मीना पुत्र श्री बाबूलाल मीना जाति मीना उम्र 32 साल निवासी फिरोजपुर बहाली तहसील राजगढ पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर हाल कानि. 2530 पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग का धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त दोनो आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। भवदीय, (अमित सिंह) अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 01.श्री प्रकाश सैनी पुत्र श्री शिवलाल सैनी जाति सैनी उम्र 30 साल निवासी 370 कामिलपुर पट्टी सीकरी तहसील नगर पुलिस थाना सीकरी जिला डीग हाल कानि. 2449 रीडर थानाधिकारी पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग एवं 02.श्री नरेश कुमार मीना पुत्र श्री बाबूलाल मीना जाति मीना उम्र 32 साल निवासी फिरोजपुर बहाली तहसील राजगढ पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर हाल कानि. 2530 पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 1043 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 936-39 दिनांक 25.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2.पुलिस अधीक्षक जिला डीग ।3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/06/2025 15:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				
2	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)